**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF FINANCE**

**DEPARTMENT OF REVENUE**

**RAJYA SABHA**

**UNSTARRED QUESTION No. 890**

**TO BE ANSWERED ON TUESDAY, THE 28th JULY, 2015**

 **6, SHRAVANA, 1937 (SAKA)**

**BRINGING CO-OPERATIVE BANKS UNDER THE AMBIT OF INCOME TAX**

**890. SHRI AAYANUR MANJUNATHA:**

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) whether the Central Government has proposed to bring the Co-operative banks under the ambit of income tax by putting them in the category of commercial banks;

 (b) if so, the details thererof and the

reasons therefor; and

(c) the action taken/being taken by the Central Government in this regard?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE**

**(SHRI JAYANT SINHA)**

(a,b&c) Prior to its amendment by the Finance Act 2006, section 80P of the Income-tax Act, 1961 provided for a deduction of the whole of the profits in the case of a co-operative society engaged in carrying on the business of banking or providing credit facilities to its members, or a cottage industry, or the marketing of agricultural produce grown by its members, or the processing of the agricultural produce of its members without the aid of power, etc.

 Finance Act, 2006 withdrew the tax benefits to co-operative banks other than primary agricultural credit societies (PACS) or primary co-operative agricultural and rural development banks (PCARDBs) on the following grounds:-

(i) Co-operative banks are like any other bank and the principle of mutuality does not apply because their area of operations extends even to non-members.

(ii) Most of these banks are providing standard banking facilities like opening of letters of credit, bill discounting and collection, lockers and safe deposit vaults, bank guarantees etc. Many of these deal in foreign exchange and have also opened ATM kiosks. These banks are thus no different from commercial banks and therefore are not eligible for preferential tax treatment.

(iii) It is in consonance with the objective of the Government to expand the tax base by phasing out all exemptions that are considered economically inefficient and inequitable.

(iv) Income-tax is a tax on profits and there is no rationale for exempting profit-making co-operative banks from payment of income-tax. Further, the following benefits have also been extended to co-operative banks which have been taken out from the purview of section 80P:-

a. Deduction for provision for doubtful debts, available so far to banking companies, has been extended to co-operative banks;

b. Deduction in respect of special reserve to the extent of 20% of profit, available to financial corporations and banks, has been extended to co-operative banks;

c. Carry forward and set off of business losses has been allowed in the event of amalgamation of a loss making co-operative bank with another co-operative bank.

 With this, co-operative banks have been brought at par with commercial banks in so far as the Income-tax Act is concerned.

 -------

**भारत सरकार**

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 890**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2015 / 06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)**

 **सहकारी बैंकों को आयकर के दायरे में लाया जाना**

**890. श्री आयनुर मंजूनाथा:**

 क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या केन्‍द्रीय सरकार ने सहकारी बैंकों को वाणिज्‍यिक बैंकों के वर्ग में डालर उन्‍हें आयकर के दायरे में लाने का प्रस्‍ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इसके कारण क्‍या हैं; और

(ग) केन्‍द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्‍या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क,ख एवं ग): वित्‍त अधिनियम, 2006 में संशोधन किये जाने के पूर्व आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80त में ऐसा प्रावधान था कि ऐसी सहकारी समितियों के मामले जोकि बैंकिग के कार्य में संलग्‍न थी या अपने सदस्‍यों या कुटीर उद्योगों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रही थी या अपने सदस्‍यों द्वारा उत्‍पादित कृषि उत्‍पादों का विपणन कर रही थी। या अपने सदस्‍यों के कृषि‍ उत्‍पादों के बिना बिजली के प्रसंस्‍करण कर रही थी, आदि । संपूर्ण लाभ को घटा दिया जाता था।

 वित्‍त अधिनियम, 2006 से प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों या प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) को छोड़कर अन्‍य सहकारी बैंकों को दिये जाने वाले कर संबंधी लाभ को निम्‍नलिखित आधार पर वापस ले लिया गया था:-

i. सरकारी बैंक भी अन्‍य बैंक की तरह होता है और पारस्‍परिक को सिद्धांत इस लिए लागू नहीं होता है क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र गैर-सदस्‍यों तक फैला होता है।

ii. अधिकांश बैंक मानक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है जैसे कि लेटर्स ऑफ क्रेडिट की सुविधा देना, बिल डिस्‍काउंटिंग एंड कलेक्‍शन, लॉकर और सुरक्षित जमा आलमारी, बैंक गारंटी आदि। इनमें से अधिकतर विदेशी विनिमय का भी काम देखती हैं और उन्‍होंने एटीएम की कियोस्‍क को भी खोल रखा है। इस प्रकार ये बैंक वाणिज्यिक बैंक से अलग नहीं है अत: ये कर संबंधी वरीयतापरक व्‍यवहार के पात्र नहीं रह जाते हैं।

iii. यह सरकार के अनुरुप है कि ऐसी सभी छूटों को हटाकर कर के आधारों को बढ़ाया जाए जो कि आर्थिक दृष्टि से अक्षम और अनुचित है।

iv. आयकर लाभ पर लगाये जाने वाला कर होता है अत: लाभ अर्जन करने वाले सहकारी बैंकों को आयकर के भुगतान से छूट देने का कोई औचित्‍य नहीं है।

इसके अलावा, सहकारी बैंकों को निम्‍नलिखित लाभ भी दिया गया है जोकि धारा 80त के दायरे से अलग है:-

क. संदिग्‍ध ऋणों की कटौती से संबंधित प्रावधान जोकि अब तक बैंकिंग कंपनियों को प्राप्‍त थे, अब सरकारी बैंकों को भी दे दिया गया है।

ख. लाभ के 20 प्रतिशत तक के विशेष आरक्षण से संबंधित कटौती जोकि अब तक वित्‍तीय निगमों और बैंकों को प्राप्‍त था, को अब सहकारी बैंकों को भी दे दिया गया है।

ग. घाटा में चलने वाली सहकारी बैंकों का अन्‍य सहकारी बैंकों में आमेलन किये जाने की स्थिति में व्‍यापारिक घाटे को अग्रेषित किये जाने और उसको सेट ऑफ किये जाने की अनुमति दी गई है।

इस प्रकार जहां तक आयकर अधिनियम का संबंध है सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष ला दिया गया है।

------------